

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- डिडापच

प्रकरण संख्या:- 212/25

दिनांक:- 3/10/25

उनवान

श्री सत्यनारायण पुज
रामलाल अजि

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पंजीम
हल्का डिडापच भू. अ. नि. पांवेरा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की
रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत
ग्राम डिडापच पं. ह. डिडापच की वर्तमान स्थायी
जमाबन्दी के खाता संख्या 175 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को
निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये
जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
①	पिता के नाम की अशुद्धि	कमला, जीता, भीरा, सम्यत पुजिया, रामपाल, सत्यनारायण, बाबूलाल कि, रामपाल	पिता का नाम रामलाल शेष वरुदा लकाबंदी

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री सत्यनारायण पुज रामलाल अजि

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)